• जिला पंचायत (ग्रामीण विकास) – छिन्दवाडा •

जिले में 11 जनपद पंचायतें तथा 808 ग्राम पंचायतें है ।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कियान्वित एवं जिला पंचायत छिन्दवाड़ा द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी इस प्रकार है :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म0प्र0 :

भारत सरकार द्वारा ''**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005**'' पारित किया गया है । जिले में यह योजना 01 अप्रैल 2007 से लागू की गई है । ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जॉब कार्डधारी अकुशल मजदूरों को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना अंतर्गत 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एक परिवार के लिये है न कि किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिये । वयस्क सदस्य से मतलब वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो ।

योजना के लाभार्थी :

- **गांव में निवास करने वाले पंजीयत परिवार का वयस्क सदस्य, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गयी हो और वह अकुशल शारीरिक काम करने के लिये तैयार हो ।**
- **जॉब कार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो ।**
- **प्रत्येक पंजीयत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा ।**

योजना कियान्वयन के चरण :

- **योजना के आरंभ में जिले में तैयार किये गये पर्सपेक्टिव प्लान से कार्य आरंभ करवाये जा सकेंगे ।**
- **ग्राम स्तर पर गांव के लोग अपनी ग्राम सभा में बैठकर यह तय करेंगे कि योजना के अन्तर्गत कौन–कौन से काम करवाये जा सकते हैं ।**
- **ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यों की अनुशंसा की जावेगी एवं ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कार्ययोजना तैयार करेगी ।**
- **ग्राम पंचायत से यह कार्ययोजना जनपद पंचायत को भेजी जाएगी**
- **जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यकम अधिकारी) द्वारा जनपद पंचायत से अनुमोदन लिया जावेगा ।**
- **कार्यों के आधार पर कियान्वयन एजेंसी का चयन किया जावेगा ।**
- **जनपद पंचायत अनुमोदन के बाद योजना जिला पंचायत को अग्रेषित की जावेगी ।**
- **जिला पंचायत द्वारा विकासखंडवार योजनाओं को अनुमोदित किया जावेगा ।**

रोजगार प्राप्त करने के लिये पंजीयन कराना :

- **गांव में रहने वाला प्रत्येक परिवार उसके ऐसे वयस्क सदस्यों का पंजीयन ग्राम पंचायत में करायेगा जो अकुशल श्रम करने के लिये तैयार हैं ।**
- **ग्राम पंचायत पंजीयन के लिये जरूरी छानबीन करने के बाद पंजीयन करेगी ।**
- **पंजीयन कराने वाले परिवार को ग्राम पंचायत रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) बना कर देगी ।**
- **ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने वाला पंजीयन येाजना के लागू रहने तक की अवधि तक के लिये मान्य होगा जो कि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी । इसके अलावा समय–समय पर नवीनीकरण की व्यवस्था भी की जा सकती है । जिस परिवार का ग्राम पंचायत में पंजीयन हो गया हो, वे इस योजना के अंतर्गत जितने दिनों की जरूरत समझें उतने दिनों के लिये रोजगार की मांग कर सकते हैं ।**
- **ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर या उस तारीख से जिससे उसने रोजगार के लिये आवेदन**

किया है 15 दिन के भीतर (जो भी बाद में हो) रोजगार उपलब्ध करायेगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी और यह भी ध्यान रखा जावेगा कि जिन्होंने रोजगार की मांग करने वाले कुल लाभार्थियों जिनका पंजीयन ग्राम पंचायत में कराया गया है उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाओं की संख्या हो । परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसे रोजगार पत्र जारी किया गया है अकुशल श्रम के लिये रोजगार की मांग करने का पात्र होगा ।

- ग्राम पंचायत से रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) :

पंजीकरण हो जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवार के वयस्क सदस्यों के फोटो वाले जॉब कार्ड जारी किये जायेंगे । जो पांच वर्ष के लिये होगा । इसका उपयोग रोजगार की मांग करने के लिये किया जावेगा । जाब कार्ड प्राप्त करने के बाद ही रोजगार प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

रोजगार एवं रोजगार उपलब्ध कराने की समय सीमा :

यह मांग आधारित योजना है किसी भी जॉब कार्डधारी वयस्क व्यक्ति द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा । परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार की 100 दिन की मजदूरी की पात्रता के अनुसार रोजगार के लिए ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में आवेदन दे सकता है । आवेदन कम से कम 14 दिनों के निरंतर कार्य के लिये किया जाना चाहिये ।

आवेदन देने की तारीख के 15 दिन के भीतर अथवा उस तारीख से जब से कि रोजगार मांगा गया है, इसमें से जो भी तिथि गिनती में बाद में पड़े, आवेदक को रोजगार दिया जायेगा । सामान्यतः आवेदक को उसके स्थानीय निवास की 5 कि.मी. के दायरे में रोजगार दिया जायेगा, यदि रोजगार 5 कि.मी. की सीमा के बाहर दिया जाता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत आने जाने एवं अन्य व्यवस्था के लिए दिया जायेगा ।

मजदूरी की दरें एवं भुगतान –

मजदूरी, श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिए निर्धारित दर से दी जायेगी । मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक होगा, किसी भी परिस्थिति में यह 15 दिन से ज्यादा देरी से नहीं होगा । मजदूरी नकद के रूप में दी जावेगी ।

बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था –

यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर अथवा उस तारीख को जिससे आवेदक ने रोजगार चाहा है, जो भी तिथि बाद में पड़े, के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी । बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा ।

मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं –

उस स्थान पर जहां काम हो रहा है, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री एवं छोटी–मोटी तकलीफों के लिए दवाएं तथा मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जायेगी । यदि काम के दौरान किसी दुर्घटना में कोई मजदूर घायल हो जाता है तो उसे चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी । किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर 25,000/– तक या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा । महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलें इसके लिए हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाएं होंगी ।

योजनान्तर्गत लिये जाने वाले कार्य – योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा सकते हैं –

- जल संरक्षण एवं संवर्धन
- सूखा रोकने – वन रोपण/वृक्षारोपण
- सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य

- **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिये सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध ।**
- **परम्परागत जल संरचनाओं का पुनरूद्धार करना ।**
- **तालाबों की गाद निकालना ।**
- **भूमि का विकास**
- **बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी ।**
- **12 मासी सड़कों के रूप में ग्रामीण सड़क सम्पर्क ।**
- **राज्य सरकार की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य कार्य जो अधिसूचित किये जावें ।**

योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 की उपलब्धि :

छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना 01 अप्रैल 2007 से लागू की गयी है । इस योजना में कुल उपलब्ध राशि 7506.473 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 6315.989 लाख की लागत राशि से 15792 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 106 कार्य पूर्ण किये जाकर शेष 15686 कार्य प्रगति पर है । इस राशि से रोड निमार्ण, तालाब निमार्ण, पुलिया/रपटा निमार्ण, स्टापडेम निमार्ण तथा हितग्राही मूलक योजनाओं में अधोसरंचना विकास के कार्य किये गये है। इनमें से 3187 सामुदायिक मूलक कार्य है ।

इस योजना में कुल 348576 पंजीकृत परिवारों में से 327521 परिवारों को जॉब कार्ड वितरित कर दिये गये है। जिले में 144746 मजदूरों द्वारा रोजगार की मॉग की गई, मॉग अनुसार 144746 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष में कुल 61.70 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिसमें अनूसूचित जाति 7.50, अनूसूचित जनजाति 38.39 एवं अन्य 15.81 लाख अर्जित मानव दिवस रहे, कुल योग में से 20.54 लाख मानव दिवस का रोजगार महिलाओं को उपलब्ध कराया गया । शासन के प्रसारित निर्देशो के अनुसार सभी जॉब कार्ड धारियों के बैंकों में खाते खोल कर मजदूरी भुगतान के निर्देश प्राप्त हुये है, तदानुसार 4300 जॉब कार्ड धारियों के सदस्यों के खाते बैंकों में खोल दिये गये हैं ।

इसी प्रकार जिले में हितग्राही मूलक कार्यो में से ***कपिलधारा उपयोजना*** के अंतर्गत वर्तमान में 7350 कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है । जिससे लगभग 14,700 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी । जिससे जिले के नीचे जाते जलस्तर को रोका जा सकेगा । इन प्रगतिरत कुओं में से 73 कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । कूप निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर सिंचाई बढ़ेगी । इससे जिले के लोगो की फसलों की पैदावार बढ़ेगी । उबड–खाबड अनुपयोगी जमीन को समतल करने हेतु ***भूमिशिल्प उपयोजना*** प्रारम्भ की गयी है । भूमिशिल्प उपयोजना में 5248 हितग्राहियों का चयन किया जाकर 981467 मी. लम्बी मेढ़ बंधान का कार्य किया जा रहा है । जिसमें 14400 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है । भूमिशिल्प उपयोजना से भूमि समतल होगी मेढ बंधान से भूमि का क्षरण रूकेगा इससे जमीन उपजाउ होगी । ***शैलपर्ण*** उपयोजना में अभी तक जिले में 316.282 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है । खाली पड़े टीले एवं पहाडियों में चारागाह विकास जलाउ लकडी के वनों का विकास, चारा पत्तियों वाले पौधों का रोपण एवं चारे हेतु घास का विकास किया जावेगा । इससे टीले एवं पहाडी हरे–भरे रहेंगे, पशुओं को घास मिलेगा, तथा गिरते जलस्तर को रोका जा सकेगा । ***निर्मलनीर उपयोजना*** में 138 पेयजल कूप का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इससे गांव के लोगों को स्वच्छ जल पीने हेतु मिल सकेगा । ***नंदन फलोद्यान उपयोजना*** में 6508 हितग्राहियों का चयन किया जाकर 1969 हितग्राहियों का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। जिसमें वर्ष 2007–08 में 1,40,000 फलदार पौधे रोपित किये जा चुके हैं । इससे जिले में फलों की पैदावार में वृद्धि होगी । जिले के लोगों की आय बढेगी ।

=●●=

▪ इंदिरा आवास योजना

योजनान्तर्गत बी.पी.एल. आवासहीन ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण एवं कच्चे आवासों को मरम्मत हेतु राशि प्रदाय की जाती है ।

भारत सरकार से जिले के लिए प्राप्त लक्ष्य में से 3 प्रतिशत जिला स्तर पर आरक्षित रख कर शेष का 90 प्रतिशत नवीन आवास एवं 10 प्रतिशत आवास उन्नयन हेतु रखा जाता है । प्राप्त लक्ष्य का पुनरांवटन जिले के समस्त 808 ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. प्रतीक्षा सूची के आवासहीन परिवारों की संख्या के आधार पर किया जाता है । योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के लिये 40 प्रतिशत आवासों का बंटन किया जाता है । इसमें से 15 प्रतिशत आवास अल्पसंख्यकों को बंटन करना अनिवार्य है ।

हितग्राही का चयन :–

योजना की पात्रता के माप–दण्डों एवं प्राप्त लक्ष्य के विरूद्व बी.पी.एल. आवासहीनों की स्थाई प्रतीक्षा सूची के प्राथमिकता कमानुसार हितग्राहियों का चयन किया जाता है ।

राशि वितरण :–

प्रत्येक नवीन आवास हेतु 35,000/– रू. तथा प्रत्येक आवास मरम्मत हेतु 15,000/– रूपये राशि भारत सरकार द्वारा दो किश्तों में प्राप्त होती है, जिला पंचायत व्दारा लक्ष्य अनुरूप राशि ग्राम पंचायत के हितग्राही मूलक खाते में यथाशीघ्र भेज दी जाती है । निर्माण कार्य प्रगति अनुसार ग्राम पंचायत व्दारा हितग्राहियों को राशि प्रदाय की जाती है । राशि में शौचालय एवं उन्नत चूल्हा निर्माण की राशि भी सम्मिलित है ।

जिला स्तर पर 3 प्रतिशत आरक्षित कोटा :–

कुल प्राप्त लक्ष्य (नवीन आवास मरम्मत) का 3 प्रतिशत जिला स्तर पर आरक्षित रखा जाता है । इस कोटे से ग्राम पंचायत लक्ष्य से छूटे हुये व्यक्ति जिन्हें आवास की नितांत आवश्यकता है लाभान्वित किया जाता है । इसमें विमुक्त बंधुआ मजदूर, भू.पू.सैनिक, युद्व में शहीद सैनिकों की विधवाओं, विकलांग एवं मंदबुद्धी व्यक्ति, परित्यक्ता तथा विधवा परिवार प्रमुख महिला तथा प्राकृतिक आपदाग्रस्त व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार जो अत्याचारों से पीड़ित हैं को लाभान्वित किया जाता है योजना की अन्य पात्रता यथावत होती है । हितग्राही का चयन कलेक्टर, अध्यक्ष जिला पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की गठित त्रिस्तरीय समिति व्दारा किया जाता है ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 की उपलब्धि :

नवीन इंदिरा आवास में उपलब्ध राशि 378.705 लाख में से 377.351 लाख की राशि 1733 हितग्राहियों को प्रदाय की गई,जिसमें 1126 आवास का कार्य पूर्ण किया गया । इसमें नवीन इंदिरा आवास में 1356 हितग्राहियों को उपलब्ध राशि रू0 340.605 लाख की 1356 हितग्राहियों को प्रदाय की गई,जिसमें 958 आवास का कार्य पूर्ण किया गया । इंदिरा आवास उन्नयन में उपलब्ध राशि 38.100 लाख में से 38.100 लाख 377 हितग्राहियों को प्रदाय की गई है, जिसमें 168 आवास का कार्य पूर्ण किया गया ।

=●●=

▪ मुख्यमंत्री आवास (अपना घर) योजना –

मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बी.पी.एल. के अन्तर्गत चिन्हित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा । मुख्यमंत्री आवास योजना का कियान्वयन इंदिरा आवास योजना में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप किया जावेगा ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 की उपलब्धि :

इस योजना में राज्य शासन से जिले को 218.500 लाख की राशि प्राप्त हुई वर्ष में अन्य प्राप्तियों के रूप में रूपये 3.574 लाख प्राप्त हुये । इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि रूपये 222.074 लाख में से रूपये 202.000 लाख नवीन आवास निर्माण हेतु 808 हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु ग्राम पंचायतों के हितग्राही मूलक खातों में राशि जारी की गई । प्रति हितग्राही रूपये 25,000/– के मान से राशि जारी की गई । अभी तक 91 नवीन आवासों को पूर्ण करने का कार्य कर लिया गया है ।

=●●=

▪ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना –

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये '' मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना–2007 को प्रदेश के सभी जिलों में 11 अक्टूबर 2007 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । भूमिहीन खेतिहर श्रमिक से तात्पर्य समस्त ऐसे समस्त खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हों तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीबद्ध नहीं हो । परिवार का अर्थ पंजीबद्ध भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, आश्रित माता–पिता, आश्रित विधवा अथवा परित्यक्तता पुत्री से है ।

योजना के अन्तर्गत श्रमिक का पंजीयन आवश्यक है । पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत अधिकृत होंगी जो निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने पर 10 रूपये शुल्क लेकर तीन वर्ष के लिये पंजीयन करेंगी ।

योजना के अंतर्गत पंजीबद्ध श्रमिकों के परिवार के लिये निम्न सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान की जावेगी –

प्रसूति सहायता योजना – पंजीबद्ध श्रमिक की पत्नी अथवा पंजीबद्ध महिला श्रमिक को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये निम्नानुसार 3 लाभ प्रदान किये जायेंगे –

- छः सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि
- पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि
- प्रसूति व्यय के रूपये 1000/– नगद । (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजना के अंतर्गत यह भुगतान नहीं किया जायेगा)

छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरस्कार योजना – पंजीबद्ध श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार का लाभ, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी योजना में निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त होगा । निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित शाला/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किये जाने पर छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत किये जायेगें ।

उपरोक्त नगद पुरस्कार संस्था के वार्षिक समारोह अथवा अन्य किसी भी अवसर पर प्रदान किये जायेंगे । यह पुरस्कार यथासंभव पात्रता स्थापित होने के तीन माह में प्रदान किये जायेंगे ।

विवाह सहायता – पंजीबद्ध महिला मजदूर के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध मजदूर की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला मजदूरों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में 6,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी ।

चिकित्सा सहायता – पंजीबद्ध श्रमिकों के परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 20,000/– की सीमा तक प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वीकृत की जायेगी । इस हेतु दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के नियम व मापदण्ड लागू होंगे ।

गंभीर बीमारी की स्थिति में उपरोक्त राशि के अतिरिक्त राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी तथा आवश्यकता होने पर उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से भी सहायता दी जावेगी ।

दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता योजना – भारत सरकार द्वारा लागू आम आदमी बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है । इस योजना का लाभ भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को गठित साधिकार समिति के मार्गदर्शन में दिया जायेगा ।

दुर्घटना मृत्यु की दशा में इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना या राजस्व पुस्तक परिपत्र अथवा शासन की अन्य किसी बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता स्वीकृत की जाती है तो इस योजनान्तर्गत लाभ की पात्रता नहीं होगी ।

आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत राज्य सरकार की ओर से प्रीमियम की राशि स्वयं जमा कराई जायेगी तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर पचास हजार रूपये तथा दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता होने पर रूपये पच्चीस हजार की सहायता दी जावेगी ।

पंजीबद्ध श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में अन्त्येष्टि के लिये दो हजार रूपये तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी ।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 की उपलब्धि :

जिले के 11 जनपद पंचायतों के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु 34,237 आवेदन प्राप्त हुये जिसमें 32,826 मजदूरों के आवेदन पत्र पंजीकृत किये गये । शासन से वित्तीय वर्ष में रूपये 9.00 लाख की राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है । आबंटित राशि में से 50,000/– रूपये के मान से 11 जनपद पंचायतों को 5.50 लाख की राशि जारी की गई । अभी तक 12 हितग्राहियों को रूपये 2,000/– के मान से रूपये 24,000/– की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

=●●=

▪ मध्यान्ह भोजन योजना –

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिले के समस्त विकासखण्डों की शासकीय प्राथमिक शालाओं, अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं, शिक्षा गारंटी शालाओं एवं मदरसों के छात्रों को पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है । भोजन में प्रतिदिन (समस्त शैक्षणिक दिवसों में) रोटी–सब्जी–दाल देने का प्रावधान है । वितरित किये जाने वाले भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाना है ।

छिन्दवाड़ा जिले में शासन के नवीन निर्देशों के अनुरूप परिवर्तित व्यवस्था के अंतर्गत समस्त विकासखण्डों की समस्त प्राथमिक शालाओं के छात्र/छात्राओं को रोटी–सब्जी–दाल प्रदाय की जा रही है । इस हेतु प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं एवं 2.00 रूपये निर्धारित किये गये है । उक्त निर्धारित 2.00 रूपये में भारत शासन द्वारा 1.50 रू. प्रति विद्यार्थी के मान से राशि उपलब्ध कराई जाती है । शेष 0.50 रू. की व्यवस्था आदिवासी विकासखण्डों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आदिम जाति कल्याण विभाग, गैर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विकास विभाग व्दारा की जाती है ।

योजनान्तर्गत भारत शासन से निःशुल्क खाद्यान्न (गेंहूँ) प्राप्त होता है । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न का उठाव प्रतिमाह भारतीय खाद्य निगम से किया जाता है । नागरिक आपूर्ति निगम से खाद्यान्न का उठाव लीड समितियों व्दारा किया जाकर उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण किया जाता है । उचित मूल्य दुकानों से पालक शिक्षक संघों एवं निकायों द्वारा खाद्यान्न का उठाव कर योजना संचालित की जाती है ।

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिले की समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान शालायें एवं मदरसे, शिक्षा गारंटी शालाओं एवं ब्रिज कोर्स कुल 2717 शालाओं में दर्ज 241765 छात्रों को योजनान्तर्गत लाभांवित किया जा रहा है ।

शासन से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार 01 नवम्बर 2007 से जिले के 05 विकासखण्ड जुन्नारदेव, तामिया, हर्रई, परासिया एवं अमरवाडा की माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना प्रारंभ की गई है ।

योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 की उपलब्धि :

जिले में वर्ष 2007–08 के लिये 46911.00 क्विंटल खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरूध्द माह मार्च 08 तक शतप्रतिशत खाद्यान्न का उठाव किया जाकर 48561.07 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया गया तथा माह अप्रैल 08 तक शालावार खाद्यान्न आबंटन जारी कर दिया गया है । इसी प्रकार माह अप्रैल 08 तक कुल 918.45 लाख रू. की राशि सीधे पालक शिक्षक संघ/स्वसहायता समूह के खाते में उपलब्ध करा दी गई है ।

वर्ष 07–08 में शालाओं को बर्तन उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 110.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से गैर आदिवासी विकासखण्डों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त 1568 प्राथमिक शालाओं को रूपये 71.98 की राशि पालक शिक्षक संघों को बर्तन क्रय हेतु उपलब्ध करा दी गई है ।

जिले में 1197 शालाओं में रसोई एवं भण्डार गृह निर्माण किये जाने हेतु 718.20 लाख रूपये की राशि शासन व्दारा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 1179 रसोई एवं भण्डार गृह स्वीकृत किये जाकर 707.40 लाख रूपये की राशि ग्राम पंचायतों को प्रदाय की गई । स्वीकृत 1179 रसोई एवं भण्डार गृह में से 1057 रसोई एवं भण्डार गृहों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । 122 निर्माणाधीन हैं ।

शासन से प्राप्त नवीन निर्देशों के अनुसार 01 नवम्बर 2007 से जिले के 05 विकासखण्ड जुन्नारदेव, तामिया, हर्रई, परासिया एवं अमरवाडा की माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना प्रारंभ कर दिया गया है । इन 05 विकासखण्डों की 370 माध्यमिक शालाओं में दर्ज 41433 छात्र लाभांवित हो रहे है । खाद्यान्न प्रतिमाह 1286.49 क्विंटल एवं अप्रेल 08 तक राशि प्रदाय कर दी गई है ।

जिले में तहसील सौसर को सूखा ग्रस्त घोषित किये जाने के कारण विकासखण्ड – सौसर की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की कुल 162 शालायें एवं 13563 दर्ज छात्रों को मध्यान्ह भोजन माह मई एवं जून में भी प्रदाय किया जा रहा है ।

योजनान्तर्गत 2585 ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में से 1019 शालाओं को 649 स्व सहायता समूहों से सम्बद्ध किया गया है ।

=●●=

▪ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

उद्देश्य :– गरीबी रेखा से नीचे, जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्व सहायता समूहों का गठन कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाकर स्वरोजगार में स्थापित करते हुए गरीबी रेखा से उपर उठाना ।

क्रियान्वयन :– सर्व प्रथम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को जोड़कर स्व सहायता समूहों का गठन किया जाता है । एक समूह में 10 से 20 तक सदस्य हो सकते हैं । एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को शामिल किया जाता है । सिंचाई कार्य अथवा विकलांग हेतु न्यूनतम 5 सदस्यों का एक समूह गठन किया जा सकता है । गठित समूह केवल महिला या पुरूष अथवा महिला एवं पुरूष दोंनों के मिश्रित समूह हो सकते हैं । इन समूहों के द्वारा प्रतिमाह एक निश्चित बचत राशि जो कि गठित समूह के सदस्यों द्वारा नियत की जाती है, जमा करेंगे जिसे बैंकों में समूह का खाता खोलकर उसमें जमा करते हुए खाते का संचालन किया जाता है । समूह में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव का चयन समूह के सदस्यों द्वारा खाते के संचालन के लिए किया जाता है । समूह के सदस्यों द्वारा इस बचत राशि से आपस में आवश्यकतानुसार लेन–देन किया जाता है जिस पर समूह सदस्यों द्वारा निर्धारित 1 से 3 प्रतिशत तक ब्याज देय होता है ।

समूह के द्वारा पाक्षिक अथवा प्रतिमाह बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है । समूह के द्वारा सफलतापूर्वक छः माह संचालन के पश्चात् प्रथम ग्रेडिंग की जाकर 5000/– से 10000/– तक रिवाल्विंग फॅण्ड समूह की बचत राशि अनुसार बैंक को उपलब्ध कराया जाता है । बैंक द्वारा उनकी बचत राशि के चार गुना तक की राशि की नगद साख–सीमा समूह के पक्ष में जारी की जाती है । इस राशि से समूह के सदस्य अपनी छोटी–छोटी गतिविधियॉं संचालित करते हैं । तत्पश्चात् छः माह के पश्चात् समूह यदि कोई आर्थिक गतिविधियॉं संचालित करने योग्य पाया जाता है तो उसकी द्वितीय ग्रेडिंग कराई जाकर उन्हें बैंक के माध्यम से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराया जाकर रोजगार स्थापित कराया जाता है । एक समूह को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत एवं प्रत्येक सदस्य के मान से 10000/– तथा अधिकतम 125000/– तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । सिंचाई कार्य हेतु अनुदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी लाभान्वित किया जाता है । सामान्य वर्ग के लिए योजना का 30 प्रतिशत एवं अधिकतम 7500/– रूपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति को 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000/– रूपये तक का अनुदान दिया जाता है । विकलांग स्वरोजगारियों के लिए सभी वर्गो में अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000/– रूपये है ।

जिले में मुख्यतः डेयरी, बकरी पालन, सिंचाई कार्य, वनोपज संग्रहण एवं प्रोसेसिंग आदि की गतिविधियॉं संचालित की जा रही हैं । योजना में समूह के लिये आवश्यकतानुसार अद्योसंरचना निर्माण, विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 की उपलब्धि –

इस योजना के अंतर्गत योजनाकाल से अभी तक 3432 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया। वर्तमान में सकिय समूह संख्या 2022 एवं निष्कीय समूह संख्या 1410 है। वित्तीय लक्ष्य 850.14 के विरूद्ध 206 समूहों को रू0 830.350 लाख की राशि तथा 385 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को रूपये 181.570 की वित्तीय सहायता बैंक ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुए बी0पी0एल0 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदाय की गई । इस प्रकार जिले में शासन से प्राप्त वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 119 प्रतिशत केडिट मोबिलाईजेशन में रही ।

इस योजना में कुल उपलब्ध राशि 514.70 लाख में से अनुदान राशि पर 268.09 लाख, अधोसंरचना विकास पर 104.82 लाख, प्रशिक्षण पर 45.463 लाख, रिवाल्विंग फण्ड पर 45.150 लाख व्यय किये गये । उपलब्ध राशि रू0 514.70 लाख के विरूद्ध रू0 464.41 लाख की राशि व्यय की गयी, उपलब्धि का 90.22 प्रतिशत है ।

=●●=

▪ 12वां वित्त आयोग

12वां वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को उनके क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

कार्यों की प्राथमिकता :–

1. **न्यूनतम मौलिक आवश्यकता के कार्य** :–ग्राम में मौलिक आवश्यकता के कार्य जैसे बहुउद्देशीय ग्राम स्वराज भवन निर्माण, पंचायत की परिसंपत्तियों, भवनों आदि का रख–रखाव, ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण, हाट बाजार का निर्माण एवं ग्राम में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के मोहल्लों में आन्तरिक सीमेंट कांक्रीट सड़क/नाली निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है ।

2. **स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व पर्यावरण संबंधी कार्य** :– ग्राम में पेयजल, नलजल योजनाएं, हैण्ड पम्प, गोकुल वन, पंचायत क्षेत्र में स्थित पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व के असंरक्षित स्थानों /स्मारकों का रखरखाव एवं विकास संबंधी कार्य ।

कार्यों हेतु अंशदान :–

उपरोक्त निर्माण कार्यों में उल्लेखित कार्यों को कराने के पूर्व ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों को 15 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराना होगा । जो निम्न मदों से देय होगा ।

माननीय सांसद एवं विधायक द्वारा अंशदान की राशि अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से देय होगी । ग्रामकोष में उपलब्ध अन्नकोष, श्रमकोष, नगद कोष एवं दान के रूप में प्राप्त राशि से भी 15 प्रतिशत अंशदान के रूप में देय होगा ।

प्राप्त राशि व कार्य का सम्पादन :–

बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत शासन से 1079.390 की राशि प्राप्त हुई, यह राशि सीधे 808 ग्राम पंचायतों को शासन के निर्देशों के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रदाय कर दी गई है । उपलब्ध राशि रू0 1079.390 लाख के विरूद्ध रू0 1079.390 लाख की राशि व्यय की गयी ।

=●●=

▪ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । योजनांतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार का नगद राशि में अनुपात 75:25 का है योजनांतर्गत केन्द्र शासन द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के निम्न उद्‌देश्य है :–

(1) **प्राथमिक उद्‌देश्य** :–

- ग्रामीण क्षेत्रो में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना एवं खाद्यान्न सुरक्षा एवं पोषक स्तर में सुधार करना है ।

(2) **अन्य उद्‌देश्य** :–

- ग्रामीण क्षेत्रो में स्थाई सामुदायिक सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा अधोसरंचना का विकास करना है ।

- दिनांक 1.4.2004 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के प्रथम स्त्रोत एवं द्वितीय स्त्रोत को समाहित कर एक ही योजना सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में क्रियान्वित की गई ।

- संसाधनो का वितरण नये प्रावधान अनुसार जिला पंचायत– 20 प्रतिशत, जनपद पंचायत– 30 प्रतिशत एवं ग्रामपंचायत– 50 प्रतिशत के अनुपात में किया गया ।

प्रगति :–

इस योजना में कुल उपलब्ध राशि 243.845 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 339.738 लाख की लागत राशि से विगत वर्ष के 143 स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यो में से 113 कार्य पूर्ण किये जाकर शेष 30 कार्य प्रगति पर है । इस राशि से रोड निमार्ण, तालाब निमार्ण, पुलिया/रपटा निमार्ण, स्टापडेम निमार्ण तथा हितग्राही मूलक योजनाओं में अधोसरंचना विकास के कार्य किये गये है।

जिले में 01 अप्रैल 2007 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू होने फलस्वरूप सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समाहित ।

=●●=

▪ राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन

मिशन के उद्देश्य :–

1. मृदा तथा जल (सतही एवं भू–जल) संसाधनों का संवर्धन तथा संरक्षण ताकि –
   - **जीविका को आधार दिया जा सके ।**
   - **सूखे की विभीषिका को कम किया जा सके ।**
2. प्लानिंग तथा क्रियान्वयन के लिए सुगम वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी का भंडार विकसित करना ।
3. संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए अधिकतम जनसहयोग
4. संसाधनों के पर्यावर्णीय आधार को सुधारना

परियोजना क्रियान्वयन :–

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन, जिला छिन्दवाड़ा में वर्तमान में जिले के 9 विकासखण्डों में संचालित है, (छिन्दवाड़ा एवं चौरई को छोड़कर) । जिले के आठ डी.पी.ए.पी. विकासखण्डों में क्रमशः 6 वां बैच, 7वां बैच, 8 वां बैच, डीपीएपी – हरियाली–1, हरियाली–2, हरियाली–3 एवं हरियाली 4 तथा विकासखंड़ पांढुर्णा में आई.डब्लू.डी.पी. परियोजना का कार्य संचालित है । वर्तमान में जिले की 203 ग्राम स्तरीय समितियों में परियोजना का कार्य संचालित है ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 की उपलब्धि :–

राजीव गाधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन में डी.पी.ए.पी.योजना एवं आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजना के अंतर्गत कुल उपलब्ध राशि 768.857 लाख के विरूध राशि रूपये 691.303 लाख की राशि व्यय की गई । योजना अंतर्गत डी.पी.ए.पी.योजना में उपलब्ध राशि 678.641 लाख के विरूध 609.674 लाख की राशि व्यय की गई । हरियाली .योजना के तहत आई.डब्ल्यू.डी.पी.योजना कुल उपलब्ध राशि 90.216 लाख के विरूध 81.629 लाख की राशि व्यय की गई ।

डी.पी.ए.पी.योजना में 58 वाटरशेडों में क्रियान्वयन किया गया। भौतिक लक्ष्य 109500.00 हेक्टेयर के विरूद्ध उपलब्धि 55735.00 हेक्टेयर को उपचारित किया गया । हरियाली .योजना के तहत आई.डब्ल्यू.डी.पी.य में 1 वाटरशेड में 5000.00 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भौतिक लक्ष्य के विरूध 730.00 हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया ।

=●●=

▪ जलाभिषेक अभियान

प्रदेश के अंचलों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु पानी की आपूर्ति की समस्या के स्थायी निदान के लिये जल संरक्षण व संवर्धन गतिविधियों के जन अभियान के रूप में प्रदेश व्यापी क्रियान्वयन के लिये जल अभिषेक अभियान 02 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ किया गया है । यह अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजना है । जलाभिषेक अभियान की अवधारणा समाज और शासन के परस्पर सहयोग एवं समन्वय पर आधारित है । योजनान्तर्गत कन्टूर ट्रेंच, बंड ,बोल्डरवाल, मेढ बंधान, फार्म पौण्ड, हैण्ड पम्प, कूओं, नलकूप रिचार्ज, नये कुअें, बावडियां, नाला बंधान चेक डेम, बोरी बंधान, तालाब, भूमिगतडाई, वृक्षारोपण इत्यादि के जल संरक्षण एवं जल संबंर्धन के कार्य लिये गये है।

इस योजना के अन्तर्गत जिले में वर्ष 07–08 में विभिन्न कार्यो में रूपये 8513.00 लाख की राशि स्वीकृत की जा कर रूपये 3735.74 लाख की राशि व्यय की गयी है । इस राशि में रूपये 16.94 की राशि जन सहयोग के रूप में प्राप्त की गयी है। इसी प्रकार आर0 जी0 एम0 एवं एस0 जी0 आर0 वाय0 के अन्तर्गत 03 मापदण्डों के अनुसार (1) **15mX15mx06x06** गहराई **03m** लागत राशि 13400 रूपये (2) **21mX18mx09x03** गहराई **03m** लागत राशि 24200 रूपये **15mX15mx06x06** गहराई **03m** लागत राशि 13400 रूपये (3) **23mX21mx14x12** गहराई **03m** लागत राशि 32700 रूपये के 960 खेत तालाब जिसकी लागत राशि रूपये 162.75 लाख है, की स्वीकृति दी जाकर 398 खेत तालाबों को पूर्ण करते हुए 398 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

हरियाली महोत्सव :–

जलाभिषेक अभियान के अन्तर्गत हरियाली महोत्सव (वर्ष 07–08) के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, नगरीय प्रशासन, एवं अन्य विभागों के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के 43,84,510 पौधे 9692.00 हेक्टेयर भूमि मे रोपित किये गये है। इन पौधों की सुरक्षा के लिये पानी एवं सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था हेतु पौध रक्षक की नियुक्ति ग्राम पंचायत एवं जलग्रहण समिति स्तर पर की गई है ।

=●●=

▪ समग्र स्वच्छता अभियान :—

ग्रामीण जनजीवन के स्तर में गुणवत्ता लाने के लिये प्रदेश के सभी जिलों में समग्र स्वच्छता अभियान लागू किया गया है । इस अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता एवं संस्थागत स्वच्छता से संबंधित सभी गतिविधियों तथा स्वच्छता निर्माण से संबंधित गतिविधियां सम्पादित की जाती हैं ।

समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले की योजना लागत रू0 1128.13 लाख की स्वीकृति फरवरी—मार्च 2003 में प्राप्त हुई एवं पुनर्रिक्षित योजना लागत रू. 3686.72 लाख का स्वीकृति प्राप्त हुई है, स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार जिले के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शौचालय सुविधाविहीन समस्त ग्रामीण परिवारों हेतु कम लागत् के जलबंध शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण शालाओं में शौचालय निर्माण, आंगनवाड़ी में शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण एवं ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छता सामग्री विक्रय सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना तथा वृहद प्रचार—प्रसार गतिविधियों का समावेश है। स्वीकृत योजना के विशिष्ट घटकों का विवरण निम्नानुसार है।

1. बी.पी.एल. परिवारों हेतु कम लागत् के जलबंध शौचालय का निर्माण	:	**116436 ईकाई**
2. शौचालय सुविधाविहीन शालाओं में शालेय शौचालय निर्माण	:	**3667 ईकाई**
3. आगंनवाड़ी में शौचालय निर्माण	:	**286 ईकाई**
4. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण	:	**50 ईकाई**
5. स्वच्छता सामग्री उत्पादन एवं विक्रय हेतु आर.एस.एम./पी.सी.	:	**5 नग**
6. प्रचार—प्रसार गतिविधियों का संचालन	:	**सम्पूर्ण जिले में**

मूल स्वीकृत योजना रू. 1128.13 लाख के विरूद्ध जिले को कुल आंबटन 284.44 लाख (केन्द्रांश रू. 216.45 लाख एवं राज्यांश रू. 67.99 लाख) के विरूद्ध 257.77 लाख व्यय किया जा चुका है, जिसमें गरिबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के यंहा दिसम्बर 07 के अन्त तक 17058 परिवारों के यंहा शौचालय निर्माण कार्य कराया गया । इसी प्रकार 1373 शालेय शौचालय निर्माण कार्य भी पूर्ण कराया गया है ।

स्वीकृत पुनर्रिक्षित योजना के विरूद्ध केन्द्रांश राशि रू. 515.13 लाख एवं राज्यांश 175.00 लाख (द्वितिय किश्त) प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त राशि मे से निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु चयनित ग्राम पंचायतों को रू. 1 करोड़ 90 लाख की राशि समस्त जनपद पंचायतों को विमुक्त की गई । इसी प्रकार प्रचार—प्रसार हेतु निविदा आंमत्रण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ऐजेन्सीज को जनपद पंचायत के माध्यम से राशि विमुक्त की गई । जिले में स्वीकृत 5 आर.एस.एम. के विरूद्ध 4 आर. एस.एम. कार्यरत है।

माह मार्च 2008 अंत तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 20053 परिवारों के यहॉ शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किया गया इसी प्रकार जिले की 1391 शालाओं में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किये गये । जिले के समस्त स्कूलों तथा आंगनवाडियों में शौचालय निर्माण हेतु राशि विमुक्त की जा चुकी है । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

निर्मल ग्राम पुरस्कार :— जिले में 120 निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु प्रस्तावित है, जिस हेतु ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के यहॉ शौचालय निर्माण कार्य हेतु रू0 1200/— के मान से राशि निर्गमित की जा चुकी है ।

=●●=

▪ मूलभूत सुधार कार्य (राज्य वित्त आयोग) योजना :–

उद्देश्य –

ग्राम की मूलभूत आवश्यकता एवं जनहित के कार्यों पर राशि का व्यय कर ग्राम का चहुमुखी विकास करना है ।

राशि का वितरण –

ग्राम की जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं कर वसूली को क्रमशः 70, 25 एवं 05 प्रतिशत अधिभार देते हुए इसका विभाजन कर राशि का वितरण किया जाता है ।

राशि से किये जाने वाले कार्य –

प्राप्त राशि से ग्रामों के अंतर्गत आने वाली मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता के अंतर्गत नाली निर्माण/सड़क निर्माण व मरम्मत प्रकाश व्यवस्था, पर्यावरण एवं जनहित जैसे कार्यों पर राशि व्यय किया जाना है ।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 की उपलब्धि –

इस मद में राज्य शासन से **763.970** लाख रूपये प्राप्त हुये यह राशि विकास कार्यो हेतु सीधे बैंकों के माध्यम से जिले की 808 ग्रामपंचायतों के 1984 ग्रामों के ग्रामकोष के बैंक खातों मे उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

=●●=